न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

<u>फौज.प्र.क. : 920 / 2014</u> संस्थित दि: 08 / 10 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र	बिरसा,	
जिला बालाघाट (म.प्र.)	<u></u>	अभियोगी

विरुद्ध

राकेश पिता चिंदूसिह मरकाम, उम्र 28 साल, जाति बैगा,

निवासी साहूटोला कनिया थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)..... आरोपी

—<u>:: निर्णय ::</u>—

(आज दिनांक 08/10/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 27.09.2014 को समय 07:10 बजे स्थान साहूटोला किनया वस्ती मार्ग थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में बीस लीटर कच्ची महुआ शराब शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञाप्ति के रखे हुए पाये गये।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि चौकी सालेटेकरी में कार्यरत् सहायक उपनिरीक्षक सतानन्द दिनांक 27.09.2014 को कस्बा भ्रमण के लिये रवाना हुआ तो कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि साहूटोला में रहने वाला राकेश अपने कब्जे में अवैध रूप से बेचने के उद्देश्य से शराब रखे हुए है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप के साथ समक्ष गवाहों के मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबन्दी कर आम रास्ते में रोककर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से दो प्लास्टिक की जरीकेन में बीस लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से रखे पाई गई। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरुद्ध शून्य पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा था जिस पर थाना

फौज.प्र.क. : 920/2014

बिरसा की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क. 124/14 अन्तर्गत धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
 - (अ) क्या आरोपी दिनांक 27.09.2014 को समय 07:10 बजे स्थान साहूटोला कनिया वस्ती मार्ग थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में बीस लीटर कच्ची महुआ शराब शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञाप्ति के रखे हुए पाये गये ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (08) आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 2000 / रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दिण्डत किया जाता है।

फौज.प्र.क. : 920/2014

(09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा बीस लीटर शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

ATTAGEN STATES OF THE STATES O